(2) (2)

स्पीड–पोस्ट

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रांक: एक–दो–136–2004/ 2107 /05 लखनऊ दिनांक: 5 अप्रैल, 2005

सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी, D/o श्री शिवकांत त्रिपाठी,
मकान नं0– 131 मोहल्ला पैन्नू, थाना– कोतवाली फतेहपुर
जिला फतेहपुर उ0प्र0 पिन 212601

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग–9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–764/छ–पु0–9–31(100)/2004 दिनांकित–5 अप्रैल, 2005 के द्वारा आपको सहायक अभियोजन अधिकारी वेतनमान रू0 6500–200–10500 में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है।

2– आपको डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के साथ दिनांक–11.4.2005 को पूर्वान्ह में अवश्य कार्यभार ग्रहण करना है। यदि निर्धारित अवधि तक आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और न ही आपसे समय बढ़ाने के लिए ठोस कारण दर्शाते हुए कोई प्रार्थना–पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो उक्त तिथि के बाद से आपका अभ्यर्थन स्वंयमेव समाप्त हो जायेगा।

3– डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– आपको वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा अनुमन्य भत्ता मंहगाई भत्ता व समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगें।

5– कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगें–

1– ओथ आफ एलिजियन्स संबंधी प्रमाण–पत्र।
2– गोपनीयता संबंधी प्रमाण–पत्र।
3– चल,अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
4– विवाहित होने की दशा में.एक पत्नी/पति होने का प्रमाण–पत्र।
5– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

दिनांक–11.4.2005 से डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आपका 6 माह का आधारमूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा, जिसके लिए कृपया आप 2 नेकर (सफेद), 2 टीशर्ट कालरदार (सफेद), 2 पैंट (सफेद), 2 सफेद कमीज, एक काली टाई, एक जोडी ब्लेक शूज, व एक जोडी पी0टी0 शूज सफेद, 2 जोडी सफेद मोजे व विस्तर व कम से कम रूपया 3000/– की धनराशि मेस एडवान्स हेतु व अन्य खर्चो हेतु अलग से लेकर आयें

......2/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. न्यायालय
(महिला के विरुद्ध अपराधों के विचारण हेतु विशेष)
कानपुर नगर

7— डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण समाप्त होने पर आपका आगामी प्रशिक्षण निम्न प्रकार होगा—

1. एक माह का प्रशिक्षण न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
2. एक माह का प्रशिक्षण न्यायालयों में किसी जनपद में।
3. एक माह का प्रशिक्षण थाना में किसी भी जनपद में।

उक्त प्रशिक्षण कार्यकम हेतु आपको अलग से अवगत कराया जायेगा।

(ए0 अब्राहम कुरियन)
महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

प्रतिलिपि—

1. संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग—9 उ0प्र0 शासन को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या—764/छ—पु0—9—31(100)/2004 दिनांकित—5.4.2005 के सन्दर्भ में, सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य, डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों की सूची इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें—
   1 कार्यभार ग्रहण करने हेतु आने वाले नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारी के आगमन पर उनके समुचित मार्गदर्शन की व्यवस्था।
   2. जो नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारी दिनांक 11.4.2005 तक कार्यभार ग्रहण करते हैं उनकी सूची तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूल रूप में तथा जो उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी सूची अलग—अलग दो प्रतियों में भेजने का कष्ट करें।
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन,मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादबाद को इस आशय से कि उक्त अभ्यर्थी के डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर वेतन आहरण/वितरण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करे।
4. फैक्स वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद— फतेहपुर को इस आशय से कि उक्त अभ्यर्थी के अंकित पते पर इस पत्र की तामीली तत्काल सुनिश्चत कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करायें।
5. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(ए0 अब्राहम कुरियन)
महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।